राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांकः-एफ-1(32)नरेगा/बजट घोषणा/2013 जयपुर, दिनांक 24 MAY 2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
ईजीएस, समस्त (राजस्थान)

विषयः- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में 100 दिवस का कार्य पूर्ण करने वाले परिवारों को स्व-रोजगार हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से चालू वित्तीय वर्ष रूपये 2100/- की नकद सहायता उपलब्ध कराने बाबत आवश्यक दिशा-निर्देश।

संदर्भः- इस विभाग का समसख्ंयक पत्र दिनांक 28.3.2013,17.4.13 एवं 17.5.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों की निरन्तरता के क्रम में लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में वित्तीय वर्ष 2012-13 में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को 2100/- रूपये का भुगतान राज्य मद से कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

कार्यक्रम अधिकारी द्वारा लाभार्थी के बैंक/पोस्ट ऑफिस के खातों में यह राशि जमा की जायेगी। कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बैंक/पोस्ट ऑफिस को चेक के साथ लाभार्थी की सूची निम्न प्रारूप में भेजी जायेंगी :-

क.सं	लाभार्थी का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	जॉब कार्ड संख्या	बैंक/पोस्ट ऑफिस का खाता संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6

जिन लाभार्थियों को पूर्व में भुगतान किया जा चुका है, उनकी सूची उपयुर्क्त प्रारूप में कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में संधारित की जायेगी। कार्यक्रम अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि श्रम भुगतान की तरह ही इस राशि का भुगतान भी लाभार्थी के खाते में अविलंब जमा हों। सभी लाथार्थियों को दिनांक 30.6.2013 तक भुगतान सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को 15.7.2013 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

भवदीय,

(खजान सिंह)
परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद, समस्त (राजस्थान)
2. लेखाधिकारी, मुख्य पोस्ट मॉस्टर जनरल कार्यालय, डाक विभाग, जयपुर।
3. विकास अधिकारी समस्त (राजस्थान)।
4. एम.आई.एस. मैनेजर कार्यालय हाजा को ई-मेल करने एवं विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस